भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1319**

**27 जुलाई, 2021 के लिए प्रश्न**

**मध्य प्रदेश में बीपीएल कार्ड**

**1319. साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार बीपीएल कार्डधारकों के बारे में कोई नया सर्वेक्षण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भोपाल और मध्य प्रदेश राज्य में जिला-वार परिवारों की संख्या कितनी है जिन्होंने बीपीएल कार्ड योजना का लाभ लिया है; और

(ड.) सरकार द्वारा नए बीपीएल कार्ड प्रदान करने के लिए बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री**

**(साध्वी निरंजन ज्योति)**

**(क) से (ग):** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों के कवरेज को पूर्व के गरीबी अनुमानों से अलग कर दिया गया है तथा केवल दो श्रेणियों नामत: अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों के अधीन आबादी के अनुमानों से जोड़ दिया गया है। इस प्रकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कोई बीपीएल कार्ड जारी नहीं किया गया है।

**(घ) और (ड.):** वर्तमान में, अधिनियम सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निर्बाध रूप से प्रचालन में है जिसमें देशभर में लगभग 79.51 करोड़ व्यक्तियों को कवर किया गया है। अधिनियम को मार्च, 2014 से मध्य प्रदेश राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है तथा राज्य सरकारों को 5.46 करोड़ के आशयित कवरेज की तुलना में 4.83 करोड़ व्यक्तियों के लिए खाद्यान्न आवंटित किया जा रहा है। इसके अलावा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन कार्डों को शामिल करना और उनका निरसन करना एक सतत् प्रक्रिया है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अपने मानदंडों और मापदंडों के अनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (मध्य प्रदेश सहित) द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वास्तविक पात्र व्यक्तियों/परिवारों को नए राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। इसके अलावा, इस विभाग ने मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श दिया था कि इस अधिनियम के तहत व्यक्तियों के कवरेज की दी गई अधिकतम सीमा तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल करने के लिए समाज के कमजोर वर्गों सहित सभी पात्र और गरीब व्यक्तियों/परिवारों की पहचान की जाए।

*****